# राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक : 16.3.2023

## अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **संशोधन.-** (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के उप-नियम (3),(4) या, यथास्थिति, (5) के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निरर्हता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

(2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से

अधिक संतानें हों।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:"

# अनुसूची

| क्र.सं. | सेवा नियमों का नाम | विद्यमान नियम का संख्यांक | विद्यमान नियम का संख्यांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 | 25ख | नियम 28ख का उप-नियम(4) |
| 2. | राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 | 25ग | नियम 28क का उप-नियम(4) |
| 3. | राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 | 25ख | नियम 28क का उप-नियम(4) |
| 4. | राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954 | 21क | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 5. | राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954 | 21क | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 6. | राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 | 21क | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 7. | राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 | 21क | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 8. | राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954 | 21क | नियम 24ख का उप-नियम(4) |
| 9. | राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954 | - | नियम 11ख का उप-नियम(4) |
| 10 | राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958 | 20क | नियम 21कक का उप-नियम(4) |
| 11. | राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958 | 20क | नियम 23क का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 | 15ख | नियम 25क का उप-नियम(4) |
| 13. | राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958 | 21क | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 14. | राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959 | 20क | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 15. | राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा नियम, 1959 | 21क | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 16. | राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960 | 21क | नियम 25क का उप-नियम(4) |
| 17. | राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960 | 20क | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 18. | राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, 1960 | 20क | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 19. | राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 | 22क | नियम 25क का उप-नियम(4) |
| 20. | राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960 | 20क | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 21. | राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 | 21क | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 22. | राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962 | 20 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 23. | राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 24. | राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 | 25क | नियम 31क का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 26. | राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 27. | राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 28. | राजस्थान जनसंपर्क सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 29. | राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 30. | राजस्थान प्राच्यविद्या अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 31. | राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967 | - | नियम 17 का उप-नियम(4) |
| 32. | राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 33. | राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 34. | राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 | 15क | नियम 18 का उप-नियम(4) |
| 35. | राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ. एवं स.) नियम, 1973 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 36. | राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 37. | राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 | - | नियम 11क का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38. | राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 39. | राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 40. | राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 41. | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976 | 21 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 42. | राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 | 21 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 43. | राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976 | 21 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 44. | राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 | - | नियम 9 का उप-नियम(4) |
| 45. | राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 46. | राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 47. | राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 48. | राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 49. | राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980 | - | नियम 9 का उप-नियम(4) |
| 50. | राजस्थान जिला गजेटियर्स सेवा नियम, 1980 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51. | राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 52. | राजस्थान शिक्षा सेवा(महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 | 21 | नियम 26 का उप-नियम(1क) |
| 53. | राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990 | - | नियम 9 का उप-नियम(4) |
| 54. | राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 | 24 | नियम 27 का उप-नियम(4) |
| 55. | राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008 | 19 | - |
| 56. | राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 | 26 | नियम 29 का उप-नियम(4) |
| 57. | राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010 | 25 | नियम 28 का उप-नियम(4) |
| 58. | राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम, 2013 | 26 | नियम 28 का उप-नियम(4) |
| 59. | राजस्थान संस्कृत (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2022 | 27 | नियम 33 का उप-नियम(4) |
| 60. | राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,1981 | 26 | नियम 28 का उप-नियम(4) |
| 61. | राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981 | 26 | नियम 28 का उप-नियम(4) |
| 62. | राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 | 27 | नियम 30 का उप-नियम(4) |
| 63. | राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 1997 | 23 | नियम 26 का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64. | राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,1998 | 25 | नियम 28 का उप-नियम(4) |
| 65. | राजस्थान समेकित बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम,1998 | 25 | नियम 28 का उप-नियम(4) |
| 66. | राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम,2000 | 25 | नियम 28 का उप-नियम(4) |
| 67. | राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001 | 25 | नियम 28 का उप-नियम(3)(II) |
| 68. | राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 | 27 | नियम 30 का उप-नियम(4) |
| 69. | राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 | 27 | नियम 30 का उप-नियम(4) |
| 70. | राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013 | 27 | नियम 30 का उप-नियम(4) |
| 71. | राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ नियम, 2015 | 28 | नियम 31 का उप-नियम(4) |
| 72. | राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015 | 27 | नियम 30 का उप-नियम(4) |
| 73. | राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 | 29 | नियम 32 का उप-नियम(4) |
| 74. | राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 | 30 | नियम 33 का उप-नियम(4) |
| 75. | राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 | 28 | नियम 31 का उप-नियम(4) |
| 76. | राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019 | 29 | नियम 32 का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77. | राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 | 29 | नियम 32 का उप-नियम(4) |
| 78. | राजस्थान शिक्षा(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 | 29 | नियम 32 का उप-नियम(4) |
| 79. | राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1955 | 24क | नियम 27क का उप-नियम(4) |
| 80. | राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1955 | 23क | - |
| 81. | राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956 | 24घ | नियम 28क का उप-नियम(4) |
| 82. | राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 83. | राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 | 25 | नियम 28क का उप-नियम(4) |
| 84. | राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 85. | राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 86. | राजस्थान उद्यान-कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 87. | राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 88. | राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 89. | राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 90. | राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थय शाखा) नियम, 1967 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 91. | राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 92. | राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 93. | राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 | 21 | नियम 25 का उप-नियम(4) |
| 94. | राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 95. | राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 96. | राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 97. | राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 98. | राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 99. | राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 100. | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 101. | राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102. | राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 103. | राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 | 21 | नियम 24क का उप-नियम(4) |
| 104. | राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 | 25 | नियम 28क का उप-नियम(4) |
| 105. | राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976 | 21 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 106. | राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976 | 21 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 107. | राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 | 21 | नियम 23क का उप-नियम(4) |
| 108. | राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 109. | राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 | 17 | - |
| 110. | राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 111. | राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 112. | राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980 | 22 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 113. | राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 | 24 | नियम 26 का उप-नियम(1क) |
| 114. | राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 | 33 | नियम 35 का उप-नियम(1क) |
| 115. | राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 | 32 | नियम 35 का उप-नियम(4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 116. | राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 2008 | 19 | नियम 29 का उप-नियम(4) |
| 117. | राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013 | 27 | - |
| 118. | राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 | 26 | नियम 24 का उप-नियम(4) |
| 119. | राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 | 27 | - |
| 120. | राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020 | 29 | - |
| 121. | राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 | 33 | नियम 37 का उप-नियम(4) |
| 122. | राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 | 31 | नियम 33 का उप-नियम(4) |
| 123. | राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 | 15 | नियम 26 का उप-नियम(4) |
| 124. | राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 | 31 | नियम 33 का उप-नियम(4) |
| 125. | राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 | 19 | नियम 26 का उप-नियम(4) |

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

16/3/2023

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

9(i)/2023

## राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7(1)कार्मिक/क-2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक : 16.3.2023

# अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड(ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों और विनियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों और विनियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. संशोधन.-** (1) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियमों और विनियमों के, दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निरर्हता से संबंधित, विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।"

(2) इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित नियम के विद्यमान उपबंध "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से

अधिक संतानें हों।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस उप-नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:"

# अनुसूची

| क्र.सं. | सेवा नियमों का नाम | विद्यमान नियम का संख्यांक | विद्यमान नियम का संख्यांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) नियम और विनियम, 1991 | - | नियम और विनियम 12 का उप-नियम(1क) |
| 2. | राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ स्टाफ) नियम और विनियम, 1999 | 29 | नियम और विनियम 33 का उप-नियम(1क) |

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

16/3/2023

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

9(ii)/2023